192

समक्ष में : श्रीमान् अध्यक्ष महोदय म0प्र0 राजस्व मण्डल ग्वालियर

R1-1423
9-11-12

R 4002-II/12

20 Rs. COURT FEE २० रु. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

माधव सिंह आयु 65 वर्ष पिता गोविन्द सिंह गोंड़ निवासी–ग्राम पतखई (बोट्टी खेरवा) तहसील सोहागपुर जिला–शहडोल म0प्र0 —— **आवेदक**

बनाम

1. होल्कर सिंह उम्र 55 वर्ष पिता गोविन्द सिंह गोंड़ निवासी–ग्राम पथखई (बोट्टी खेरवा) तहसील सोहागपुर जिला–शहडोल म0प्र0
2. म0प्र0 शासन

—— **अनावेदक**

कार्यालय कलेक्टर शहडोल (म.प्र.)
02 NOV 2012
शाखा अधीक्षक कलेक्टर

3336
9-11-12

निगरानी विरूद्ध आदेश श्रीमान् तहसीलदार महोदय तहसील सोहागपुर जिला–शहडोल म0प्र0 के राजस्व प्रकरण क्रमांक 130/अ–12/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 20.06.2011

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959

मान्यवर,

आवेदक निम्नानुसार निगरानी प्रस्तुत कर विनय करता है :–

प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पतखई, रा0नि0मं0 अमरहा, तहसील सोहागपुर जिला–शहडोल म0प्र0 स्थित आराजी खसरा नं. 770/4 रकवा 0.607 हेक्टेयर आवेदक के भूमिस्वामित्व व कब्जेदखल की आराजी है। जिस पर आवेदक पुस्तैनी रूप से खेती करता चला आ रहा है और इस वर्ष भी आवेदक ने उक्त आराजी पर मकाई की फसल बोया हुआ था।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

मामला क्र0–R.4002–II/12 जिला–शहडोल

माधव सिंह/होल्कर सिंह

(1)	(2)	(3)
24.05.17	1. प्रकरण प्रस्तुत। 2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। 3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा–35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। 4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। सदस्य	